

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिरायल्ट जज	नम्बर व त अडकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुई
19-12-14	<p>उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक... 9.12.14... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">श्री रीडर सहायक कलक्टर माण्ड</p>	
3-4-15	<p>उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक... 3.4.15... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">श्री रीडर सहायक कलक्टर माण्ड</p>	
1-7-15	<p>पत्रावली नम्बर... 101... को पेश हुई। आगामी दिनांक... 2.7.15... को पेश हो।</p>	
8-10-15	<p>उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक... 8.10.15... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">श्री रीडर सहायक कलक्टर माण्ड</p>	
10-12-15	<p>उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक... 10.12.15... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">श्री रीडर सहायक कलक्टर माण्ड</p>	
17-3-16	<p>उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक... 17.3.2016... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">श्री रीडर सहायक कलक्टर माण्ड</p>	
29-3-16	<p>उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक... 29.3.16... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">श्री रीडर सहायक कलक्टर माण्ड</p>	

तारीख
हुवम

हुवम या कार्यवाही मग इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुवम की तामील
में जारी हुए

हुकी है, जबकि बाद 24.9.14 को पेश किया
गया है। अतः बाद हुलक च्याम्लियो के विरुद्ध
पेश करने से अखेट हो जाने से स्वारीज
किया जाये।

वकील वादी ने जवाब में अफगल कराया
है कि पुलिसवादी स० 1 व 2 बर्को से भीलफारा
रहते हैं, अतः उते जासकारी नहीं थी, उसने
जमाबन्दी अनुषार पसकार बनाया है अतः
प्रार्थना पत्र 07, R-11, स्वारीज किया जाये।
प्रकार में उअर पर की बहस सुनी गई। उअर
के उअर पर उअर प्रार्थना-पत्र जवाब
कथनों को दोहराया गया।

मेरे द्वारा उल्लू प्रार्थना-पत्र 07, R-11
का जवाब वादी के बहस पर मतर किया
गया। वादी द्वारा दावा पेश करने वरु
पुलिसवादी स० 1 व 2 के जीवित होने का
कोई प्रमाण पेश नहीं किया है, इस प्रकार
हुलक च्याम्लियो को पसकार बनाया गया
है, अतः बाद पोषणीय नहीं है, प्रार्थना-पत्र
07, R-11 स्वीकार किया जाकर बाद वादी
स्वारीज किया जाता है।

पजाबली फेसल शुमार डेकर नम्बर
से कम है।

सहायक कलक्टर एवं
उपचण्ड अधिकारी, कलकत्ता